न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी : श्री ए.एच गौरी आर0ए0एस

मुकदमा नम्बर : राजस्व अपील 12/2019

प्रभूसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी–पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. लूणसिंह पुत्र कालूसिंह } जाति राजपूत निवासी– पुन्दलसर तहसील
3. सवाईसिंह पुत्र देवीसिंह } श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट्स

::अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से – श्री राजेन्द्र सिंह शिमला अधिवक्ता
2. स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
3. रेस्पो.सं. 2 की ओर से – श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता
4. रेस्पो.सं. 3 की ओर से – श्री रघुवीरसिंह अधिवक्ता

:: निर्णय :: दिनांक 30.09.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सवाईसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ वगैरहा ने तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम पुन्दलसर के निवासीगण है। सभी प्रार्थीगण का पुन्दलसर के दक्षिणी रोही में खेत स्थित है। जिनका एकमात्र रास्ता ग्राम पुन्दलसर से बाना मार्ग के आथूणी साईड के मार्ग से अप्रार्थी प्रभूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर के खेत में से होकर गुजरता है। जिसे करीब एक साल से पट्टी व तारबंदी लगाकर करके अवरूद्ध कर दिया है जिसे खुलवाये जाने की व्यवस्था करें । इस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा मिसल कायम कर प्रभूराम को नोटिस देकर जांच आदि की कार्यवाही कर दिनांक 05.07.2019 के द्वारा रास्ता उपलब्ध करवाने के आदेश दिये गये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्टान् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तदन्तर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील दिनांक 05.07.2019 पारित करने से पूर्व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का विधि सम्मत तरीके से विवेचन नहीं कर आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खसरा संख्या 482 व 479 में संयुक्त खाते की स्थित है। जिसमें अपीलान्ट का 1/5 हक व हिस्सा है। उक्त खेत में गांव की तरफ से खसरा नम्बर 483 में होते हुए रास्ता प्रवेश करता है। जो खेत के मध्य में जाकर बांये तरफ घुमकर लूणसिंह पुत्र कालूसिंह के खेत में होते हुए आगे उनकी सींव तक जाकर पुनः सीधा दक्षिण की ओर हो जाता है। उक्त रास्ता कदीमी है, जो वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 482 व 479 के मध्य सींव पर बड़ा टीला (टिब्बा) होने की वजह से उक्त रास्ता पूर्व की ओर घुमकर लूणसिंह के खेत में से होकर चला आ रहा है। जिसको बन्द करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। सवाईसिंह पुत्र देवीसिंह द्वारा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार के आदेश की अनुपालना में भू.अ.नि./पटवारी हल्का मोतबिरान के समक्ष मौके का निरीक्षण किया, रिपोर्ट में लिखा कि "मौके पर प्रभूसिंह के खेत में से रास्ता प्रचलन होने के निशान वर्तमान में नहीं दिखायी दिये। खसरा नं. 579 में एक वर्ष पूर्व बन्द किए रास्ते के निशान मौजूद है। मौके का नजरी नक्शा बनाकर अलग से संलग्न हैं" से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खेत में से रास्ता कभी भी नहीं जाता था बल्कि खेत में प्रवेश होने के बाद पूर्व की ओर घुमकर लूणसिंह पुत्र कालूसिंह के खेत खसरा संख्या 569 में प्रवेश कर जाता था एवं आगे चलकर लूणसिंह के खेत की दक्षिणी पश्चिमी सींव में से खसरा संख्या 478 में प्रवेश करता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नं. 482, खसरा नं. 479 खसरा नं. 469 में से रास्ता काटकर 8 फुट लूणसिंह के खेत में से जो खसरा संख्या 569 में से व 8 फुट खसरा संख्या 482 व 479 में से काटने के आदेश दिये है। उक्त आदेश खातेदार की सहमति से दिया जाना अपने निर्णय में अंकित किए है। खातेदार से इस बाबत कोई बातचीत नहीं की न उनसे पूछा गया। इस आधार पर आदेश जैर अपील दिनांक 05.07.19 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ आर्बीट्रेरी आदेश की श्रेणी में आता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चालू रास्ते को खुलवाने के अधिकार है न की नया रास्ता कायम करने के। नया रास्ता कायम करने के अधिकार अन्तर्गत धारा 251–ए में उपखण्ड अधिकारी को है। जबकि नियमानुसार रास्ता खुलवाने के अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ के आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलवाने के आदेश को स्वयं कार्यवाही न कर संबंधित तहसीलदार को स्थानान्तरित करने पर अथवा निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा न्यायोचित कार्यवाही नहीं करने पर ही तहसीलदार को रास्ता

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

खुलवाने के अधिकार प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील दिनांक 05.07.2019 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश विधि विरूद्ध होने, क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। अपील अन्दर मियाद है, प्रार्थना पत्र छूट प्राप्त करने अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंरगढ़ के आदेश दिनांक 05.07.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस् सं. 2 व 3 की बहस है कि प्रार्थीगण ग्राम पुन्दलसर के निवासीगण है। प्रार्थीगण का पुन्दलसर के दक्षिणी रोही में खेत स्थित है। रास्ता पीढ़ियों से ग्राम पुन्दलसर से ग्राम बाना आने जाने के लिये रास्ता चला आ रहा है। जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेतों की उतरी–दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे सीधा रास्ता चला आ रहा है। कोई घुमाव नहीं है और ना ही कोई टिब्बा है। इस रास्ते के बीच में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खेत स्थित चले आ रहे है जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 प्रभूसिंह का खेत खसरा नं. 482 तथा पिरदानसिंह के खेत खसरा नं. 479 की उतरी सींव एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खेत खसरा नं. 569 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे सीधा रास्ता गत सौ सालों से चला आ रहा है जिसका उपयोग समस्त ग्रामवासी करते आ रहे है। परन्तु प्रभूसिंह द्वारा उक्त पुराने चले आ रहे रास्ते को बीच में से बन्द कर दिया है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 एवं अन्य ग्रामवासी अपने–अपने खेतों में आव जाव नहीं कर पा रहे है । रेस्पोडेन्टान ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने भू.अ.नि./ पटवारी हल्का से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट के आदेश दिये तथा भू.अ.नि./पटवारी हल्का से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सुखाचार के आधार पर पीढ़ियों से जारी खेत में आवागमन का रास्ता साबित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बन्द रास्ते को खुलवाने का निर्णय लिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी गलत आधारों पर पेश होने के कारण खारिज की जावे।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सवाईसिंह वगै. के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का पुन्दलसर व भू.अनि. उपनी की मौका रिपोर्ट पर दिनांक 24.06.2019 को यह प्रकरण अ.धा. 251 आरटीए दर्ज कर अपीलान्ट को तलब किया। अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 569 में रास्ता बन्द किये जाने का उल्लेख किया है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लूणसिंह को नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब नोटिस पेश हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 5.7.2019 को भू.अ.नि. पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट लेने का कथन करते हुवे राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसार प्रचलित रास्ता के प्रस्ताव मंगवाने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् पुनश्चः करते हुवे आदेशिका लिखते हुवे दिनांक 25.06.2019 की मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुवे खसरा संख्या 482 के खातेदार प्रभूसिंह (अपीलान्ट) एवं खसरा नम्बर 569 के

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

खातेदार लूणसिंह (रेस्पोडेन्ट संख्या 2) के खेत में से 8–8 फुट रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश पारित करते हुवे पटवारी हल्का से प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये। इस प्रकार यह प्रकरण मूलतः सवाईसिंह वगै. के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2019 के आधार पर दर्ज हुआ है जिसमें प्रार्थीगण ने प्रभूसिंह के खेत से जाने वाले रास्ते को दुरूस्त करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र भू.अ.नि./पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2019 के आधार पर दिनांक 24.06.2019 को प्रकरण दर्ज करते हुवे प्रभूसिंह को नोटिस दिया गया। जबकि फर्द मौका दिनांक 03.06.2019 में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर प्रभूसिंह के खेत में से रास्ता प्रचलन होने के निशान वर्तमान में नहीं दिखाई दिये। खसरा नम्बर 569 एक वर्ष पूर्व खातेदार ने ट्यूबवैल बना लेने के कारण तारबंदी कर लेने पर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया। प्रभूसिंह के जवाब के आधार पर लूणसिंह को नोटिस दिया गया एवं लूणसिंह ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मेरे खेत से आगे वाले खेत वालो के बयान लिया जावे, स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परमपरागत रास्ते को परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसार रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव पटवारी/भू.अ.नि. हल्का से चाहे गये। तत्पश्चात् पुनश्चः करते हुवे दिनांक 25.06.2019 को मौका देखने का उल्लेख करते हुवे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की सहमति के आधार पर 16 फुट चौड़ा रास्ता के प्रस्ताव बनाने व खुलवाने के आदेश दिये गये। दिनांक 25.06.2019 को मौका देखने के कोई आदेश अथवा फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रकरण भी प्रचलित रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने का न होकर सुखाधिकार के अन्तर्गत धारा 251 आरटीए के तहत परमपरागत रास्ते को खुलवाने के होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम रास्ता किन–किन खसरो से वर्षो से चला आ रहा है, को साक्ष्य एवं बयानात के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

6. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 05.07.2019 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि रास्ता परमपरागत रूप से जिन खसरा नम्बरान से वर्षो से चला आ रहा है उसके संबंध में विवादित खेतों के आगे के काश्तकारों के बयान व मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.स्व.गौरी)
अति. जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 12:26:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: